

ਪ੍ਰੇਸ਼ਕ,

ਰਜਿਸਟਰ,

ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਨਾਰੋਜ ਏਣਡ ਮਿਡਵਾਈਵ ਕੌਂਸਿਲ,

ਖਾਰਥ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾਯ, ਉਤਤਰਾਖਣਡ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ।

ਸੇਵਾ ਮੈਂ,

ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰ्य,

ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਭੂਮਿ ਇੱਨਸਟੀਟਯੂਟ ਑ਫ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਏਣਡ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ
ਮਝੋਨ, ਪੌਂਧਾ ਵਾਯਾ—ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ।

ਪਤ੍ਰਾਂਕ : ਨ.ਕੌ।/ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਭੂਮਿ/ਨਾਰੋਜ/05/2020/ 733

ਦਿਨਾਂਕ 31 ਦਿਸ਼ਵਰ, 2022

ਵਿ਷ਯ : ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਭੂਮਿ ਇੱਨਸਟੀਟਯੂਟ ਑ਫ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਏਣਡ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਮਝੋਨ, ਪੌਂਧਾ ਵਾਯਾ—ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕੇ ਨਾਰੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਾਣ ਪਾਠਕਮ ਸਤ੍ਰ 2022–23 ਕੇ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਨਾਰੋਜ ਏਣਡ ਮਿਡਵਾਈਵ ਕੌਂਸਿਲ ਸੇ ਅਨੁਮਤਿ/ਸਮਾਂਵਤਾ ਵਿਸ਼ਤਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਯੇ ਜਾਨੇ ਵਿ਷ਯਕ।

ਮਹੋਦਾਵ,

ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਾਣ ਸੰਥਾਨ ਕੇ ਅੰਨ੍ਤਰਗਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਮਨ ਨਾਰੋਜ ਪਾਠਕਮ ਕੋ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਨਾਰੋਜ ਏਣਡ ਮਿਡਵਾਈਵ ਕੌਂਸਿਲ ਸੇ ਵਰ્਷ 2022–23 ਸਤ੍ਰ ਹੇਤੁ ਅਨੁਮਤਿ/ਸਮਾਂਵਤਾ ਵਿਸ਼ਤਾਰਣ ਨਿਮਨ ਸ਼ਾਰ੍ਤੋਂ ਏਂ ਪ੍ਰਤਿਬਨਧੀ ਕੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ।

ਕੋਸਾਂ	ਪਾਠਕਮ ਕਾ ਨਾਮ	ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਟ ਸੰਖਿਆ
1	ਬੀ0ਏਸ0ਸੀ0 ਨਾਰੋਜ	40 (Forty)

1. ਸੰਥਾਨ ਕੋ ਉਪਰਾਕਤਾਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਟੋਂ ਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਅਨੁਮਤਿ ਹੋਗੀ।
2. ਸੰਥਾਨ ਕੋ ਉਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਟੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਸ਼ਾਰਾਨ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਧਾ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਿਯਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਕੇ ਨਿਰੀਕਾਣ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਧਾ ਕੇ ਸਮਾਂਵਧ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ ਸੇ ਸਮਾਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਯਾ ਜਾਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਯਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਯਦਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਯਾ ਤਥਾ ਭਵਿ਷ਧ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਧਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਨਿਰਗਤ ਅਨੁਮਤਿ/ਸਮਾਂਵਤਾ ਕੋ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਸੰਥਾਨ ਕੇ ਵਿਰੁਦ਼ ਆਵਾਖਕ ਕਾਰਘਾਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਸੰਥਾਨ ਕੋ ਉਕਤ ਡਿਗ੍ਰੀ ਪਾਠਕਮ ਕੋ ਸੰਚਾਲਨ ਹੇਤੁ ਸਮਾਂਵਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਾਲਾਯ ਸੇ ਸਮਾਂਵਤਾ/ਅਨੁਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਜਾਨੀ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੋਗੀ।
6. ਸੰਥਾਨ ਕਾ ਕਿਸੀ ਭੀ ਔਚਕ ਨਿਰੀਕਾਣ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਯਦਿ ਨਿਰੀਕਾਣ ਮੈਂ ਕਮਿਆਂ ਪਾਧੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਨੁਮਤਿ/ਸਮਾਂਵਤਾ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋ ਨਿਰਸਤ ਕਿਯੇ ਜਾਨੇ ਪਰ ਆਵਾਖਕ ਕਾਰਘਾਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਾਣ ਸੰਥਾਨ ਕੋ ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਤਥਾ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਸ਼ਾਸਨ ਦ੍ਰਾਰਾ ਜੋ ਭੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰੰਦੇਸ਼/ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਗੇ ਵੇ ਸ਼ਵਤ: ਹੀ ਸੰਥਾਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਂਗੇ ਏਂ ਮਾਨ੍ਯ ਹੋਂਗੇ।
8. ਉਕਤ ਨਾਰੋਜ ਪਾਠਕਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੇਤੁ ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਕਿਕ ਧੋਗਧਤਾ ਏਂ ਅਨ੍ਯ ਅਹੰਤਾਏਂ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੋਗੀ।
9. ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਾਣ ਪਾਠਕਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਯੇ ਜਾਨੇ ਸੇ ਪੂਰ੍ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਣਾਰਥੀਓਂ ਕੇ ਸ਼ੈਕਿਕ ਧੋਗਧਤਾ ਕੀ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਵਿਦਾਲਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਦੇਸ਼ਾਲਾਯ ਸੇ ਸਮਕਕਤਾ ਕਾ ਸਤਿਆਪਨ ਕਰਾਵਾ ਜਾਨਾ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੈ।
10. ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ ਦ੍ਰਾਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀ ਗਿਆ ਅਧਿਸੂਚਨਾ/ਗਾਇਡ ਲਾਇਨ ਏਂ ਨਿਧਮਾਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਥਾਨ ਮੈਂ ਅਧਿਧਨਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਣਾਰਥੀਓਂ ਕੋ ਪਾਠਕਮਾਨੁਸਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾਲਾਯਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ, ਅਭਿਆਸਿਕ ਏਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਹੇਤੁ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਅਧਿਧਿ (Allotted hours) ਕੋ ਪੂਰ੍ਣ ਕਿਯਾ ਜਾਨਾ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੋਗਾ।
11. ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਕੇ ਨਿਰੰਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਾਣ ਸੰਥਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਣਾਰਥੀਓਂ ਕੋ ਰੇਗੂਲਰ (ਨਿਧਮਿਤ) ਉਪਾਧਿਤਾ ਹੋਨਾ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੋਗਾ। ਯਦਿ ਕੋਈ ਸੰਥਾਨ ਨੋਂ ਅਟੋਡਿੰਗ ਪਾਠਕਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੰਥਾਨ ਕੇ ਵਿਰੁਦ਼ ਲਾਗੂ ਵਿਦਾਮਾਨ ਨਿਧਮਾਂ ਕੇ ਤਹਤ ਸਮਾਂਵਤਾ ਨਿਰਸਤ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਿ ਸਰਕਾਰ ਏਂ ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਕੋ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12. ਭਾਰਤੀਧ ਉਪਚਰਧ ਪਰਿ਷ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ ਕੇ ਮਾਨਕਾਨੁਸਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ 1:10 ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੈਂ ਤਥਾ ਉਤਤਰਾਖਣਡ ਨਾਰੋਜ ਏਣਡ ਮਿਡਵਾਈਵ ਕੌਂਸਿਲ ਮੈਂ ਪੰਜੀਕ੃ਤ ਹੋਨਾ ਅਨਿਵਾਰ੍ਧ ਹੈ।



13. संरथान को सामु0स्वा0केन्द्र, प्राथमिक खास्थ्य केन्द्र एवं गानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
14. संरथान को लैबस् को सुसज्जित करना होगा एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. संरथान को भारतीय उपचर्या परिषद् के नवीन मानकों के अनुसार एडवान्स स्कील लैबस् 02 माह में रथापित किया जाना अनिवार्य होगा।
16. भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2019 के आलोक में संस्थान में कार्यरत सभी टीचिंग फैकल्टी का एनआरटीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
17. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइज कौसिल में पंजीकरण नहीं है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या-433/XXVIII(6)/2020-01(Nursing)2020 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 में वर्णित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. संरथान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
20. सम्बद्ध / पेरेन्ट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
21. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संरथान को निर्गत अनुमति/सम्बद्धता रवतः ही निरस्त समझी जायेगी।
22. प्रत्येक वर्ष मान्यता/अनुमति/संबद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइज कौसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भैवदीय

(राम कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार

तददिनांकित।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/05/2020/
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चन्द्र नगर, देहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवाँ तल, एन्वीरीरी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020।

(राम कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल,
स्वारथ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
(कॉलेज ऑफ नर्सिंग) मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/5/2020/ १५४

दिनांक | ५ फरवरी, 2023

विषय : श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (कॉलेज ऑफ नर्सिंग) मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल से अनुमति/सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल से वर्ष 2022-23 सत्र हेतु अनुमति/सम्बद्धता निम्न शर्तों पर व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	बी०एस०सी० नर्सिंग	60 (Sixty)

- संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- संस्थान को उक्त निर्धारित सीटों में प्रवेश उत्तराखण्ड शारान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्थान को उक्त डिग्री पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती हैं, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही संस्थान पर हागू होंगे एवं मान्य होंगे।
- उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना आनिवार्य है।
- भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा समय-समय जारी की गई अधिसूचना/गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार चिकित्सालयों में प्रयोगिक, अभ्यासिक एवं क्लीनिकल ट्रेनिंग हेतु निर्धारित समय अवधि (Allotted hours) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को रेगुलर (नियमित) उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यदि कोई संस्थान नोन अटेंडिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है तो संस्थान के विरुद्ध लागू विद्यामान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- संस्थान को सामूहिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं भानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कॉसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।



14. संस्थान को लैबस् को सुसज्जित करना होगा एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् के नवीन मानकों के अनुसार एडवान्स स्कील लैबस् 02 माह में रखापित किया जाना अनिवार्य होगा।
16. भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुरागण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2019 के आलोक में संस्थान में कार्यरत सभी टीचिंग फैकल्टी का एनआरटीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
17. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौसिल में पंजीकरण नहीं है। उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या-433/XXVIII(6)/2020-01(Nursing)2020 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-I/79112/2022/XXVIII(6)/2022-(Nursing) दिनांक 28 नवम्बर, 2022 में वर्णित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
20. सम्बद्ध/पेरेन्ट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
21. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति/सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
22. प्रत्येक वर्ष मान्यता/अनुमति/सम्बद्धता विरताण्ण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

इस कार्यालय के पत्र संख्या-न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/5/2020/733 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 द्वारा वी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की निर्धारित सीट राख्या राशोधित समझी जाये। उक्त पत्र में वर्णित शेष शर्त यथावत रहेगी।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तों एवं प्रतिक्षणों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भवदीय
(राम कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

तददिनांकित।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/5/2020/
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चन्द्र नगर, दैहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवीं तल, एवीसीसी रान्डर, प्लॉट नं 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली – 110020।

(राम कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार